रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2004/भाद्र 18, 1926

No. 155] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2004/BHADRA 18, 1926

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

सं. आईजी/प्रशा.(जी)/आर्डे-2/2000/1804.—इ.गा.रा.मु.वि. अधिनियम, 1985 (1985 की संख्या 50) के उपखंड 26(2) के प्रावधानों के अंतर्गत पठित खंड 26(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड ने 29-12-2003 को आयोजित अपनी 78वीं बैठक में कर्मचारी छुट्टी नियमन अध्यादेश संख्या 2 (अध्यापक एवं शैक्षिक स्टाफ सहित) में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्द्धन किया है।

अध्यादेश संख्या 2 के अंतर्गत खंड 8(iv) को संशोधन के बाद इस प्रकार पढ़ा जाएगा :

8(iv) नीचे उपखंड (vii) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी अध्यापक की उपर्युक्त उपखंड—(ii) और (iii) के अंतर्गत स्वीकृत पूरी सेवा अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति की अवधि, यदि कोई है, सहित, असाधारण छुट्टी की संख्या 5 साल से अधिक की नहीं होगी। बहुत ही आपवादिक और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 5 वर्ष की निर्धारित समय अवधि के अतिरिक्त असाधारण छुट्टी की स्वीकृति के मामलों पर प्रत्येक मामले की स्थिति के आधार पर प्रबंध बोर्ड विचार करेगा, बशर्ते सुपुर्द कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया गया हो और सुपुर्द कार्य प्रबंध बोर्ड की अनुमति से लिया गया हो। प्रारंभिक अनुमति के अतिरिक्त, असाधारण छुट्टी को बढ़ाने के मामले में, कर्मचारी को स्वीकृत असाधारण छुट्टी की अवधि समाप्त होने से 3 महीने पहले आवेदन करना होगा।

निम्नलिखित नए उपखंड जोड़े जाएंगे :

8(v). किसी अध्यापक को दो, तीन और पांच वर्षों की असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, यदि उसने विश्वविद्यालय में क्रमशः पांच, सात और दस साल की सेवा पूरी कर ली है। पूरी की गई सेवा वास्तविक होनी चाहिए और उसमें छुट्टियां जैसे—अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी और असाधारण छुट्टी सम्मिलित नहीं होंगी।

8(vi) अध्यापकों/अकादमिकों के असाधारण छुट्टी को स्वीकृत करने के अनुरोध पर निर्णय लेते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रभाग/केन्द्र/संस्थान में अध्यापक/अकादमिकों की संख्या संकाय/विषय की कुल संख्या का 20 प्रतिशत हो, लेकिन कुलपति, सम-कुलपति, राष्ट्रीय संस्थानों के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र, कॉमनवेल्थ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विदेश स्थित भारत सरकार के राजदूतावासों आदि में महत्पवूर्ण उच्चस्तरीय पदों और विधान सभाओं तथा संसद की सदस्यता के मामलों में 20 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी। इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रथम दृष्टया असाधारण छुट्टी अध्यादेश के खंड 8(iv) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य की पूर्ण अवधि के लिए स्वीकृत की जाएगी।

10क(iv) अध्यापकों/अकादमिकों के अध्ययन छुट्टी के अनुरोध पर विचार करते समय प्रभाग/केन्द्र/संस्थान के किसी संकाय में अध्ययन छुट्टी/सबैटिकल छुट्टी/असाधारण छुट्टी/प्रतिनियुक्ति पर गए अध्यापकों/अकादमिकों की संख्या की सीमा कुल संकाय संख्या की 20 प्रतिशत होगी।

11(iii) अध्यापकों/अकादमिकों के अध्ययन छुट्टी के अनुरोध पर विचार करते समय किसी संकाय में अध्ययन छुट्टी/सबैटिकल छुट्टी/असाधारण छुट्टी/प्रतिनियुक्ति पर गए शिक्षकों की संख्या की सीमा कुल संकाय संख्या की 20 प्रतिशत होगी।

ए.एस. नारंग, कुलसचिव (प्रशासन)

[विज्ञापन III/IV/133/2004-असा.]

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2004

IG/Admn(G)/Ord. 2/2000/1804.—In exercise of the powers vested in it, under the provisions of Section 26(1)(a) read with the provisions under Sub-section 26(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management of the University, at its 78th Meeting held on 29-12-2003 had made the following amendments/additions to Ordinance No. 2 on Regulating Leave to Employees (Including Teachers and Academic Staff).

The Clause 8(iv) under the Ordinance 2 after amendment shall read as follows :

8(iv) Subject to the provisions of sub-clause (vii) below, the total amount of extraordinary leave including the period of deputation, if any, granted to a teacher under sub-clauses (ii) and (iii) above shall not exceed five years during his entire service. In very exceptional and important assignments, the cases for grant of Extraordinary Leave beyond the ceiling of five years would be considered by the Board, on case to case basis, subject to the condition that application for leave is submitted prior to joining the assignment and the assignment is taken only after the approval of the Board. In case of extension of EOL beyond the initial approval, the employee must apply at least 3 months before the expiry of the period of sanctioned EOL.

Following new sub-clauses shall be added :

8(v) A teacher/academic may be sanctioned two, three and five years of extraordinary leave if he/she has rendered five, seven and ten years of service in the University respectively. The service rendered shall be actual service, excluding periods of leave sanctioned to him/her such as study leave, sabbatical leave and extraordinary leave.

8(vi) There will be a limit of 20% of faculty strength in a discipline/strength of academics in a Division/Centre/ Institute while deciding the request(s) of teachers/academics for sanction of extraordinary leave. However, important assignments, like those of Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellors, Heads of National Institutes, assignments in International Organisations like UN, Commonwealth and GOI assignment abroad in Embassies etc. at senior level and membership of State Legislature and Parliament shall not be reckoned while imposing the ceiling of 20 per cent. For such important assignments, extraordinary leave will be granted for the full term of assignment in the first instance subject to the provisions of clause 8 (iv) of the Leave Ordinance.

10A(iv) There will be a limit of 20% of faculty strength in a discipline/strength of academics in a Division/Centre/ Institute, who may be on Study Leave/Sabbatical Leave/Extraordinary Leave/Deputation while deciding the request(s) of teachers/academics for sanction of Study Leave.

11(iii) There will be a limit of 20% of faculty strength in a discipline who may be on Study Leave/Sabbatical Leave/ Extraordinary Leave/Deputation while deciding the request(s) of teachers for sanction of Sabbatical Leave.

A. S. NARANG, Registrar (Admn.)

[ADVT. III/IV/133/2004-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.